10/7/23

वादीगण/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पत्रावली
[illegible] में तलब किया हुआ। वादीगण की
प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण
मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहते हैं और
नहीं मुकदमे में कुछ कार्यवाही चाहते हैं और
[illegible] मुकदमे को आगे नहीं चलाना
चाहते हैं। वादीगण के प्रार्थना पत्र सत्यापित
किये गये। वादीगण की पहचान श्री मनीलाल शर्मा
एडवोकेट द्वारा की गई। वकील वादीगण को सुना
पत्रावली देखा। वादीगण स्वयं वादीगण
नोटरी के जरिये विथ ड्रा कर रही है पत्रावली
केवल मुमकिन हिकमत, नस्ल कि मुमकिन हिकमत, वादी
वकील पर निर्भर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:40:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर

अंगूठा बायां

अंगूठा दायां

अंगूठा दायां

अंगूठा बायां

Identified
Anand Singh
Ed.

Scanned with OKEN Scanner